भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3703

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला आपूर्ति में कमी

3703. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देशभर में कोयले की आपूर्ति में कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोयले की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या देश में भविष्य में कोयले की कमी नहीं होने देने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। देश में वर्ष 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023-24 के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 997.826 मिलियन टन (मि.ट.) था।

(ख) एवं (ग): कोयले की मांग को पूरा करने के लिए देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

i कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि को कम करने, मासिक भुगतान हेतु अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां भी व्यवहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल, जहां भी व्यवहार्य हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों की भी योजना बना रही है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है।

ii. सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना करने और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

*****